प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 3334, वर्ष 2009

याचिकाकर्ता — मनोहर जेठानी

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्र. 1410, वर्ष 2010

याचिकाकर्तागण — कुमारी मीनाक्षी फड़े एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्र. 4473, वर्ष 2009

याचिकाकर्तागण — आशा नागवानी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्र. 1297, वर्ष 2010

याचिकाकर्तागण — श्रीमती रेणुका वधवानी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्र. 5569, वर्ष 2009

याचिकाकर्ता — श्रीमती रीटा एम. जेठानी

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (सिविल) क्र. 791, वर्ष 2010

याचिकाकर्तागण — सुश्री रुक्मणी मनकानी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित

श्री राजकमल सिंह व श्री वाय.सी. शर्मा, संबंधित याचिकाकर्तागण हेतु अधिवक्ता

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, राज्य हेतु उप महाधिवक्ता

श्री संजय के. अग्रवाल, नगर निगम हेतु अधिवक्ता

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एकलपीठः माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

मौखिक आदेश

(दि.28-2-2012)

1. यह आदेश उपरोक्त रिट याचिकाओं के निराकरण को शासित करेगा। इस आदेश के प्रयोजन के लिए, रिट याचिका (सिविल) क्र. 3334/2009 (मनोहर जेठानी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) का संदर्भ लिया जा रहा है।

2. रिट याचिकाओं के इस समूह में, याचिकाकर्तागण ने उत्तरवादी क्र. 2, नगर पालिक निगम, भिलाई को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित आदेश दि. 24-09-1998 का अनुपालन करने के साथ-साथ नया खुर्सीपार के आवासीय/व्यावसायिक भूखंडों के व्यवस्थापन योजना के नियम 10 का अनुपालन करने हेतु परमादेश रिट जारी करने हेतु निवेदन किए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादीगण को यह निर्देश देने हेतु भी निवेदन किए हैं कि वे परमादेश की रिट जारी होने के एक माह के भीतर भूमि आवंटन के लिए याचिकाकर्तागण के आवेदनों पर निर्णय लें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. कुछ याचिकाकर्तागण ने पूर्व में रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की थीं, जिनका निराकरण राज्य प्राधिकारियों को उनके अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था, जिन्हें दिनांक 22-01-2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऐसी ही एक प्रति नगर पालिका निगम, भिलाई द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्र. 3334/2009 में अनुलग्नक-आर/2-ए के रूप में प्रस्तुत की गई है। कुछ रिट याचिकाओं में, अभ्यावेदन को खारिज करने वाले इस आदेश को भी चुनौती दी गई है।

4. भिलाई में नगर पालिक निगम की स्थापना से पूर्व, उक्त क्षेत्र का प्रबंधन 'विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण', भिलाई-दुर्ग (संक्षेप में 'साडा') द्वारा किया जाता था। उक्त प्राधिकरण ने आवासीय/व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसे नया खुर्सीपार के आवासीय/व्यावसायिक भूखंडों के व्यवस्थापन की योजना (अनुलग्नक-पी/2) के नाम से जाना जाता है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात, नगर पालिक निगम, भिलाई के तत्कालीन आयुक्त ने एक पत्र दिनांक 8-9-98 (अनुलग्नक-पी/3) को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि कई भूखंड/भवन रिक्त हैं और यदि उन्हें इच्छुक आवेदकों को पहले-आओ-पहले-

पाओ के आधार पर आवंटित किया जाता है, तो निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सकता है। उक्त संसूचना पर कार्यवाही करते हुए, संबंधित विभाग के सचिव ने नगर पालिक निगम को पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर भूखंडों/भवनों/दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने प्रथम बार एक आवेदन दि. 5-1-2006 (अनुलग्नक-पी/6) को प्रस्तुत किया और उसके पश्चात कई अनुस्मारक भेजे, तथापि, जब मामले पर विचार नहीं किया गया, तब उन्होंने रिट याचिका (सिविल) क्र. 3049/2008 प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 20 जून, 2008 को नगर पालिक निगम को उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए निराकृत किया गया था और तदोपरांत राज्य शासन द्वारा अनुलग्नक-आर/2-1 के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया।

5. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजकमल सिंह एवं श्री वाई.सी. शर्मा ने यह तर्क दिया कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 3(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, विधि के प्रवर्तन से तत्कालीन साडा में प्रचलित योजना नगर पालिक निगम, भिलाई पर भी लागू होगी, अतः याचिकाकर्ता पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर उक्त योजना के लाभों के पात्र हैं। उन्होंने यह भी तर्क किया कि योजना को वापस लेने वाला कोई आदेश या विलेख अस्तित्व में नहीं है, अतः उनके आवंटन पर विचार न करना या आवंटन हेतु उनके अभ्यावेदन को खारिज करना स्वयं में योजना की शर्तों के प्रतिकूल है। चूँकि याचिकाकर्ता पहले ही आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं और उनसे पूर्व कोई अन्य आवेदन लंबित नहीं है, इसलिए वे पहले-आओ-पहले-पाओ के सिद्धांत के आधार पर आवंटन के पात्र हैं, जिसे राज्य शासन के पत्र दि. 24-9-1998 के तहत लागू किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. इसके विपरित, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति एवं नगर पालिक निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने यह तर्क दिया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 1994 (संक्षेप में 'नियम, 1994') के प्रावधानों के तहत, संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को विक्रय या अन्य माध्यम से हस्तांतरित किया जाना चाहिए और निगम को पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर भूखंड के आवंटन के रूप में राजकीय अनुग्रह वितरित करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय का ध्यान राज्य शासन के पश्चात्वर्ती पत्र दि. 18-9-2000 (अनुलग्नक-आर-1/5) की ओर आकर्षित करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि राज्य शासन ने स्वयं आवंटन की योजना को आस्थगित रखा था, इसलिए, जब तक यह आदेश प्रभावी है, याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भी आवेदन नहीं किया जा सकता था। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता आवंटन की मांग करने हेतु अपने पक्ष में कोई भी विधिक अधिकार बताने में विफल रहे हैं, जो कि परमादेश रिट जारी करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. निर्विवाद रूप से, तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा एक योजना तैयार की गई थी। नगर पालिक निगम, भिलाई के तत्कालीन आयुक्त द्वारा दिनांक 8-9-98 को लिखा गया पत्र और राज्य शासन द्वारा पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर आवंटन का निर्देश देने वाला पत्र भी विवादित नहीं है। अतः, इस स्तर पर विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या 12 वर्षों के अंतराल के बाद, तत्कालीन साडा द्वारा शुरू की गई योजना पहले-आओ-पहले-पाओ के सिद्धांत पर भूखंडों के आवंटन के लिए परमादेश रिट जारी करने हेतु याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का आधार बन सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नियम, 1994 का नियम 3 इस प्रकार है:-

> "3.कोई भी अचल संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती हो या आय प्राप्त करने में सक्षम हो, उसे सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचने या सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित करने के अलावा किसी अन्य रीति से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा:
>
> परंतु यह कि यदि निगम की राय है कि सार्वजनिक नीलामी आयोजित करना या सीलबंद लिफाफों में निविदा आमंत्रित करना वांछनीय नहीं है, तो निगम, राज्य शासन की पूर्व मंजूरी के साथ, सार्वजनिक नीलामी या सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित किए बिना ऐसा हस्तांतरण कर सकता हैः
>
> परंतु यह भी कि निगम, राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, किसी भी अचल संपत्ति

को उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त किसी अन्य बोलीदाता को हस्तांतरित कर सकता है:

परंतु यह भी प्रावधान है कि पट्टे द्वारा ऐसे किसी भी हस्तांतरण के लिए, पट्टा प्रदान करते समय एक उचित प्रीमियम देय होगा और इसके अतिरिक्त पट्टे की कुल अवधि के दौरान वार्षिक किराया भी देय होगा। [3-क. नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, शैक्षणिक, धर्मार्थ, धार्मिक या सामान्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी सार्वजनिक संस्थान को किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र IV (1) में निर्धारित शर्तों और दरों के अनुसार राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा।]"

10. इस न्यायालय के संज्ञान में यह नहीं लाया गया कि संबंधित योजना एक सांविधिक योजना थी जो संबंधित निगम को बाध्य करती है। यह केवल आवंटन की रीति की घोषणा करती है, तथापि, निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कहा गया है कि नियम 3 (पूर्वोक्त) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, निगम के लिए नियमों के विरुद्ध किसी भी रीति से भूखंडों को हस्तांतरित या आवंटित करना संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. नगर पालिक निगम के विद्वान अधिवक्ता ने **अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[1], **ह्युमैनिटी एवं अन्य विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, कलेक्टर**[2], **जिला ग्वालियर एवं अन्य विरुद्ध सिने एक्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य**[3] तथा **सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य**[4] के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

12. **अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस** (पूर्वोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य या उसके उपक्रम राज्य की राजनीतिक हस्तियों या अधिकारियों की स्वेच्छा और सनक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजकीय अनुग्रह नहीं दे सकते हैं। राजकीय अनुग्रह देने या लाभ प्रदान करने का ऐसा कोई भी निर्णय एक सुदृढ़, पारदर्शी, प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट नीति पर आधारित होना चाहिए, जिसे आधिकारिक राजपत्र और प्रचार के अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमों में प्रकाशन द्वारा जनता को सूचित किया जाएगा। ऐसी नीति

1 जेटी 2011 (4) एससी 311
2 जेटी 2011 (6) एससी 334
3 जेटी 2012 (1) एससी 307
4 जेटी 2012 (2) एससी 154

को भेदभाव रहित या गैर-मनमाने तरीके से लागू किया जाना चाहिए, चाहे उस नीति से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी कोई भी हो।

13. **ह्युमैनिटी एवं अन्य विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य** (पूर्वोक्त) में, कंडिका-31 और 46 में यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "31. स्वीकार्य रूप से, बहुत बड़े आकार के नए भूखंड के आवंटन के संबंध में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और न ही जनता के सदस्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त करने की मांग की गई थी। इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, आक्षेपित आवंटन स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 के उन सिद्धांतों का उल्लंघन है जिनकी व्याख्या इस न्यायालय द्वारा रमन्ना (पूर्वोक्त), कस्तूरी लाल (पूर्वोक्त) और अन्य पश्चातवर्ती मामलों में की गई है।
>
> 46. यह स्वतः सिद्ध है कि सद्भावी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए साधन भी साध्य को न्यायोचित ठहराने वाले होने चाहिए। इस न्यायालय का यह मत है कि संदिग्ध साधनों द्वारा सद्भावी उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते विशेष रूप से तब जब राज्य संलिप्त हो। यह न्यायालय राज्य से इस प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर सका है कि आवंटी द्वारा माननीय शहरी विकास मंत्री से किए गए एक अनुरोध पर, शासन ने इतनी असाधारण गति से और मामले के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना आवंटन क्यों प्रदान कर दिया। यह न्यायालय शासन की उस कार्यवाही में कोई वैधता नहीं पाता है, जिसे संवैधानिक विधि के अनुशासन के भीतर कार्य करना होता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मामलों की एक लंबी श्रृंखला में स्पष्ट किया गया है। हमें यह अभिनिर्धारित करते हुए खेद है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आवंटी के पक्ष में आक्षेपित आवंटन करने में, राज्य अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करने में विफल रहा है। हाल ही में, इस न्यायालय ने रमन्ना (पूर्वोक्त), कस्तूरी लाल (पूर्वोक्त) और विभिन्न अन्य निर्णयों का अवलंब लेते हुए **अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य** , जो [जेटी 2011 (4) एससी 311] में प्रकाशित किया गया है, में विधिक स्थिति का सार प्रस्तुत किया है। कंडिका 31 (रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 336) के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

".....राज्य और/या उसकी एजेंसियों/निकायों द्वारा राजकीय अनुग्रह देने या लाभ प्रदान करने का प्रत्येक कार्य/निर्णय एक सुदृढ़, पारदर्शी, प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट नीति पर आधारित होना चाहिए, जिसे आधिकारिक राजपत्र और प्रचार के अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमों में प्रकाशन द्वारा जनता को सूचित किया जाएगा। ऐसी नीति को भेदभाव रहित या गैर-मनमाने तरीके से लागू/निष्पादित किया जाना चाहिए, चाहे उस नीति से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी कोई भी हो। राज्य और उसकी एजेंसियों/निकायों द्वारा भूमि के आवंटन, कोटा परमिट लाइसेंस के अनुदान आदि जैसे राजकीय अनुग्रह का वितरण सदैव निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से किया जाना चाहिए और पक्षपात या भाई-भतीजावाद का तत्व राज्य के किसी विशिष्ट पदाधिकारी या अधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार, यदि कोई हो, के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं अन्य** (पूर्वोक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का उपयोग किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसे किसी प्रतिवेदन या वादे को पूरा करने का निर्देश देने के लिए नहीं किया जा सकता है जो विधि द्वारा निषिद्ध है या विधिक अधिकार से रहित है।

15. **सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एवं अन्य** (पूर्वोक्त) में, जिसे लोकप्रिय रूप से 2जी मामले के रूप में जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय अत्यधिक आलोचनात्मक रहा है और उसने पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार वाली नीति में मूलभूत दोष की ओर इशारा किया है। उक्त निर्णय की कंडिका-76 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"**76. प्रश्न संख्या 3 और 4:**

पहले-आओ-पहले-पाओ की नीति में एक मूलभूत दोष यह है कि इसमें शुद्ध रूप से भाग्य या संयोग का तत्व शामिल होता है। सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के लिए अनुबंध देने या लाइसेंस या अनुमति प्रदान करने से जुडे मामलों में, पहले-आओ-पहले-पाओ की नीति का अवलंबन करने के स्वाभाविक रूप से खतरनाक निहितार्थ होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी

सत्ता के गलियारों में उच्चतम या निम्नतम स्तर तक पहुंच है, वह शासकिय फाइलों या राज्य की एजेंसी/निकाय की फाइलों से यह जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है कि किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति या परिसंपत्ति का निराकरण होने वाला है या कोई अनुबंध दिया जाने वाला है या कोई लाइसेंस या अनुमति दी जाने वाली है, वह तुरंत एक आवेदन कर देगा और उन सभी अन्य व्यक्तियों की कीमत पर कतार में प्रथम खड़े होने का हकदार बन जाएगा, जिनका दावा अधिक बेहतर हो सकता है। इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ कहीं भी कोई संविदा की जानी हो या लाइसेंस प्रदान किया जाना हो, सार्वजनिक प्राधिकरण को चयन के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष रीति अपनाना चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा का उचित अवसर मिल सके। दूसरे शब्दों में कहें तो, राज्य और उसकी एजेंसियों/निकायों को सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के लिए हमेशा एक तर्कसंगत तरीका अपनाना चाहिए और योग्य आवेदकों के दावे को विफल करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जब स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के अन्यसंक्रामण की बात आती है, तो यह राज्य का दायित्व है कि वह वितरण और हस्तांतरण के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाना सुनिश्चित करे, जिसका अनिवार्य परिणाम राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित का संरक्षण होगा। हमारा यह मत है कि संभवतः इस दायित्व के निर्वहन का सबसे अच्छा तरीका उचित और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से की गई एक विधिवत प्रचारित नीलामी है और पहले-आओ-पहले-पाओ जैसे तरीके, जब प्राकृतिक संसाधनों/सार्वजनिक संपत्ति के अन्यसंक्रामण के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो उनके उन अनैतिक व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना होती है जिनकी रुचि केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में होती है और जिनके मन में संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक संसाधनों का हस्तांतरण करते या अलग करते समय, राज्य व्यापक प्रचार करके नीलामी की पद्धति अपनाने के लिए कर्तव्यबद्ध है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।

16. वर्तमान मामले में भी, योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य शासन के आदेश, अनुलग्नक-आर-1/5, दि. 18-9-2000 द्वारा उक्त योजना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

को स्थगित रखा गया था और उसके पश्चात जनता के सदस्यों के मन में यह सद्भावी विश्वास उत्पन्न हो गया कि योजना अब प्रचलन में नहीं है और इसी कारण से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कभी कोई अन्य आवेदन नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता मनोहर जेठानी ने स्वयं दि. 6-1-2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसके पश्चात वर्ष 2007 से 2009 की अवधि के दौरान अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। यदि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क को मान लिया जाए कि योजना अभी भी प्रभावी है, तो विधि के अनुसार भूमि के आवंटन के लिए जनता के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु नए सिरे से प्रचार किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी परिस्थिति में, जब निगम ने यह अभिवाक् किया कि नियम, 1994 के नियम 3 में निहित स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध भूखंडों/भवनों/दुकानों का निपटान या आवंटन करना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो यह न्यायालय परमादेश रिट जारी कर निगम को ऐसा कुछ करने के लिए विवश करने नहीं कर सकता जो विधि में निषिद्ध है।

17. **भारत संघ विरुद्ध किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड**[5] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वास्तव में राज्य शासन द्वारा दि. 18-9-2000 को पश्चातवर्ती आदेश जारी किए जाने के बाद भी आवंटन किए गए हैं, जिसके द्वारा योजना को स्थगित रखा गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता भी समान व्यवहार के हकदार हैं व उनके प्रतिवेदन अस्वीकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

19. **भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध एम.के. सरकार**[6] में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय नकारात्मक समानता के सिद्धांतों के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि विधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के क्षेत्र के भीतर ऐसे किसी भी सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है।

20. पूर्वोक्त के परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय को इन रिट याचिकाओं में कोई सार नहीं मिलता है, क्योंकि परमादेश रिट जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है। तद्नुसार, ये रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

---

5 (1996) 4 एससीसी 453

6 (2010) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 59

हस्ताक्षरित
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By अधिवक्ता राजकुमार वर्मा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur